रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082022-238153
CG-DL-E-17082022-238153

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944
No. 559] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 633(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949, (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सहायक उप निरीक्षक (मैकेनिक मोटर यान) तकनीकी काडर समूह 'ग' के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप निरीक्षक (मैकेनिक मोटर यान), तकनीकी काडर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम.-** पोषक प्रवर्ग में बल के प्रत्येक कार्मिक को उसकी ज्येष्ठता के क्रम में उच्चतर रैंक पर प्रोन्नति हेतु पात्रता सेवा अवधि पूरी करने से पहले अर्हक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए भेजा जाएगा और, किसी भी प्रोन्नति से पहले, बल के प्रत्येक सदस्य को, उक्त अनुसूची के स्तंभ (11) में यथाविहित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा:

परन्तु यह कि यदि महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का यह समाधान हो जाता हैं कि यदि कोई सदस्य सेवा की आवश्यकताओं अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से अपेक्षित प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को करने में समर्थ नहीं है, तो वह उन कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, बल के ऐसे सदस्य को प्रोन्नत कर सकता है, परन्तु यह कि वह प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करेगा, जिसके न हो सकने पर उसे पूर्व रैंक और प्रास्थिति पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

5. **ज्येष्ठता.-** ज्येष्ठता, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जायेगी।

6. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह से ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **गैर भारतीय नागरिकों की निरर्हता.-** भारत के नागरिक और नेपाल या भुटान के प्रजा के सिवाय किसी भी व्यक्ति को, इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार के लिखित में पूर्व अनुमति के बिना नियुक्त या नियोजित नहीं किया जाएगा।

8. **अधिवर्षिता.-** इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, जिस मास में वह 60 वर्ष की आयु पूरी करता है, उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होगा:

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है वह अधिवर्षिता की आयु पूरी करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत होगा।

9. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी भी उपाबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

11. **निर्वचन.-** यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उसका विनिश्चय करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम.	पदों की संख्या.	वर्गीकरण.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर.	चयन अथवा अचयन पद.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक उप निरीक्षक (मैकेनिक मोटर यान)	*325 (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।).	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्यक).	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (रू0 29200-92300/-).	चयन.	लागू नहीं होता.

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता.
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता.	लागू नहीं होता.	लागू नहीं होता.	प्रोन्नति द्वारा.

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा: चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रू0 25500-81100/-) में ऐसे हैड कांस्टेबल (मिस्त्री मोटर वाहन) में से प्रोन्नति जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष से अन्यून सेवा की हो तथा जो,- (i) महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा यथाविहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो ; तथा (ii) अच्छा सेवा अभिलेख रखता हो। स्पष्टीकरण:- इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए"शेप-1" से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्ष 2008 के स्थायी आदेश सं0 04 तारीख 15 दिसम्बर, 2008 के अधीन और महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर जारी पश्चातवर्ती संशोधन में यथाविहित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनसें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्ष ; (ii) कमान्डेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य ; (iii) सेकेण्ड-इन-कमांड, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य ; (iv) सहा. कमान्डेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सह सदस्य; (v) बल का एक सदस्य जो उप निरीक्षक के रैंक से नीचे का न हो तथा जिसे सबंधित ट्रेड का पर्याप्त ज्ञान हो:-सदस्य.	लागू नहीं होता.

[फा. सं. एम. वी-1/2021-ईएसटीटी-डीए-1 (पी)]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक.II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2022

G.S.R. 633(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Sub-Inspector (Mechanic Motor Vehicle) Technical Cadre, Group 'C' post in the Central Reserve Police Force, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Assistant Sub-Inspector (Mechanic Motor Vehicle), Technical Cadre, Group 'C' post Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix. -** The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Pre-Promotional courses.-** Every member of the Force in the feeder category shall be detailed to undergo, qualifying courses, before completing the service eligibility period for promotion to higher rank, in order of his seniority and every such member of the Force shall, before any promotion, be required to pass pre-promotional course or promotional course or courses as specified in Column (11) of the said Schedule :

Provided that if the Director General, Central Reserve Police Force is satisfied that due to exigencies of service or other unavoidable reasons, any such member is not able to undergo the required pre-promotional course or promotional course or courses, he after the reasons to be recorded in writing, may promote such member of Force, subject to passing of pre-promotional course within a period of two years, from the date of his promotion, failing which he shall be reverted to previous rank and status.

5. **Seniority.-** The seniority shall be regulated in accordance with the Central Reserve Police Force Rules, 1955 and instructions issued by the Central Government from time to time in this regard.

6. **Disqualification.-** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Ineligibility of Non-citizens of India.-** No person, other than the citizen of India and Subject of Nepal or Subject of Bhutan shall be appointed or employed under these rules except with the prior permission of the Central Government in writing.

8. **Superannuation.-** Every person appointed under these rules, shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years :

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retired from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

9. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

10. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-Servicemen and others special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

11. **Interpretation.-** If any question relating to the interpretation of these rules arises, shall be referred to the Central Government for its decision.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Sub-Inspector (Mechanic Motor Vehicle).	*325 (2022) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level 5 (Rs. 29200-92300/-) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion : Promotion from amongst Head Constable (Mechanic Motor Vehicle) in level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix in medical category SHAPE-I having not less than five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and who,- (i) Successfully passed pre-promotional course or promotional course or courses as prescribed by the Director General, Central Reserve Police Force; and (ii) has good record of service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (i) Deputy Inspector General, Central Reserve Police Force- Chairman ; (ii) Commandant, Central Reserve Police Force - Member ; (iii) Second in Command, Central Reserve Police Force - Member ; (iv) Assistant Commandant, Central Reserve Police Force - Co-opted Member ; (v) One member of the Force not	Not applicable.

Explanation: - For the purpose of this schedule, "SHAPE-I" means the Medical Category as specified under the Central Reserve Police Force Standing Order No. 04 of 2008 dated 15th December, 2008 and subsequent amendments issued by the Directorate General, Central Reserve Police Force from time to time. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	below the rank of Sub-Inspector having sufficient knowledge of relevant trade:- Member.	

[F. No. M.V-1/2021-Estt-DA-1(P)]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers.II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA